

प्रेस विज्ञप्तिथाना- फूलपुरकिशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16-06-24 को मुकदमा वादी कोतवाली फूलपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष के साथ विपक्षी मो0 अली पुत्र सुहेल अहमद निवासी मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा स्कूल आते-जाते समय भेदे भेदे कमेंट करना व जबरदस्ती छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-326/2024 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम मो0 अली पुत्र सुहेल अहमद निवासी मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 गौतम कुमार सरोज के द्वारा की रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16-06-2024 को व0उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 मो0 अली पुत्र सुहेल अहमद निवासी मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ को उसके घर ग्राम मुडियार से समय करीब 11-00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-326/2024 धारा 354क/506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 अली पुत्र सुहेल अहमद निवासी मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुरहत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल डण्डा बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 14/15.06.2024 की रात्रि में समय 01.00 बजे मृतक श्रवण सोनकर पुत्र पुनवासी सोनकर उम्र करीब 30 वर्ष जिसको मानसिक बीमारी थी पडोस में स्थित आकाश सोनकर पुत्र स्वर्गी.कन्हैया सोनकर के घर चला गया था घर की लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाकर विपक्षी 1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर 2.मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर 3.घुरे सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर समस्त साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने मिलकर श्रवण कुमार उपरोक्त को लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया गया। दौरान इलाज श्रवण सोनकर उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक पुनवासी सोनकर पुत्र रामनाथ सोनकर ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा एक तहरीर थाना गम्भीरपुर पर प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रा.पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 218/2024 धारा 304 भादवि बनाम 1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर 2.मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर 3.घुरे सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर समस्त साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी चौकी प्रभारी गोसाईं की बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दि0-16/06/2024 को उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर सा. रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 2.मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष को समय 9.15 बजे वाराणसी आजमगढ़ मार्ग हाइवे गोमाडीह कट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स.218/2024 धारा 304 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर सा. रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

2. मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

बरामदगी- अभियुक्त आकाश सोनकर पुत्र स्व.कन्हैया उपरोक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक बांस का डण्डा व मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर के निशानदेही पर एक घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

02 गोतस्कर आपराधी गिरफ्तार, पूर्व में 05 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार

पूर्व की घटना- कल दिनांक 14.06.2024 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज विनय कुमार सिंह मय हमराह नसीरपुर चौराहे पर मौजूद थे कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह व उ0नि0 संजय उपाध्याय मय हमराह आकर मिले। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को सूचना मिली कि ग्राम नसीरपुर में परवेज के हाते में प्रतिन्धित पशुओं को रखा गया है। कुछ लोग मिलकर उनके मांस की बिक्री करने की फिराक में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय फोर्स ग्राम नसीरपुर में परवेज के हाता पर पहुँचे। थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय फोर्स द्वारा घेराबन्दी कर वहाँ मौजूद व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें 03 अभियुक्तों 1-तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 2- वसिक शेख पुत्र औरंगजेब निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 3-हाजिम खान पुत्र अशहद अली निवासी गुलवारी गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 17.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा कुछ लोग मौके से फरार हो गये।

➡दिनांक 15.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 05 अभियुक्त 1-तौशीफ अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष । 2-वासिक शेख पुत्र औरंगजेब निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 3-हाजिम खान पुत्र अशहद अली निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 4- ताहिर पुत्र हसन रजा निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष। (घायल) 5- सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष। (घायल) को गिरफ्तार किया गया है।

➡अभियोग उपरोक्त में नामजद वांछित अभियुक्त 1.अबुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू 2. मो0 शाहिद पुत्र अली शाद निवासीगण नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 16.06.24 को समय 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.06.24 को व0उ0नि0 रवीन्द्रनाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.अबुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. मो0 शाहिद पुत्र अली शाद सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को नसीरपुर पुलिया पर से समय करीब 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 213/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आयूध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अबुशाद पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।

2. मो0 शाहिद पुत्र अली शाद सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया उम्र करीब 32 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण- व0उ0नि0 रवीन्द्रनाथ पाण्डेय, उ0नि0 लवकुश सोनकर, का0 राजेश कुमार यादव, का0 विनोद कुमार गिरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.06.2024 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी गुलशन यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी मोहल्ला शिवनगर बिलरियागंज तहसील सगड़ी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी झांसा देकर लगभग 06 वर्षों से शारिरीक सम्बन्ध बनाया गया तथा शादी करने से मना किया गया व अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर पीड़िता की शादी जहां पर तय हुई थी, वहां पर पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो भेजकर शादी तुड़वा दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/24 धारा 376(3), 452, 323, 506 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट बनाम गुलशन यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी मोहल्ला शिवनगर बिलरियागंज तहसील सगड़ी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ पंजीकृत के किया गया था । जिसमे नामजद अभियुक्त गुलशन यादव पुत्र सूर्यभान यादव उपरोक्त को आज दिनांक 16.06.2024 को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.06.24 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 गुलशन यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी मोहल्ला शिवनगर बिलरियागंज तहसील सगड़ी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ उसके घर से समय करीब 08.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 206/24 धारा 376(3), 452, 323, 506 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- गुलशन यादव पुत्र सूर्यभान यादव सा0 शिवनगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह , हे0का0 रामनिवास यादव, का0 विवेक यादव, का0 महेन्द्र मोर्य, म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना दीदारगंज
अपहरण के अभियोग में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 162/24 धारा 363,366,120 बी भादवि बनाम 1. छोटू उर्फ शिवबहादुर पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष 2. अंजनी सिंह पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम बसौली थाना सरपतहां जिला जौनपुर पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था

गिरफ्तारी का विवरण- आज दि0 16.06.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त वांछित अभियुक्त शिवबहादुर सिंह उर्फ छोटू पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम बसौली थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को जैगहा मौड के पास से समय करीब 6.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 162/24 धारा 363,366,120 बी भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवबहादुर सिंह उर्फ छोटू पुत्र सुरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम बसौली थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- प्र0नि0 अखिलेश कुमार, उ0नि0 चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह, थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना सरायमीर
हत्या के प्रयास में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी अम्बेडकर चौक गढवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि मेरे मुहल्ले में दिनांक 14-06-2024 को सन्तलाल पुत्र स्व0 लौटु के घर तेरहवी थी जहां पर पुरुष व महिलाएं इकट्ठा थी उसी रास्ते में विपक्षी जिशान पुत्र इवरार उर्फ बाले , अरशद पुत्र शौकत व मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी गण पुराना थाना कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे और जहा पर महिलाएं इकट्ठा थी वही पर रुककर मोबाइल से बात करने लगे तो मेरे चचेरे भाई अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने वहाँ पर खडे होकर बात करने से मना किया तो उपरोक्त लोग गुस्से में आकर मों वहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करने लगे तथा अपने दो तीन साथियों को और बुलवा लिया मेरे चचेरे भाई के विरोध करने पर जीशान पुत्र इवरार उपरोक्त के ललकारने पर जान से मारने की नियत से ईंट पत्थर व धारदार हथियार से हमला कर दिये जिससे मेरे भाई के सिर पर व शरीर में गम्भीर चोटें आयी। लोगो को इकट्ठा होते देख मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये हम लोगो ने अपने गम्भीर रूप से घायल भाई अमीत कुमार को लाद फानकर प्राइवेट साधन से ताहीर अस्पताल फूलपुर ले गये जहा पर उनका इलाज चल रहा है उनकी गम्भीर हालत देखकर डाक्टर साहब ने भर्ती कर लिये है। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 334/24 धारा 307/323/504/506/336/34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी पंजीकृत कर विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी फूलपुर महोदय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 16.06.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित 03 अभियुक्तों को खरेवां मोड़ के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया जिसमें पहले ने अपना नाम अरशद पुत्र शौकत अली निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 39 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार अहमद उर्फ बाले निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष, तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बताया। तीनों अभियुक्तों को समय करीब 05.30 बजे खरेवां मोड़ के पास हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 334/24 धारा 307/323/504/506/336/34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी थाना सरायमीर, आजमगढ़।

बरामदगी- एक सफेद कपडे में एक चाकू ((अभियुक्त अरशद पुत्र शौकत अली के पास से)

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अरशद पुत्र शौकत अली सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. इरशाद अहमद उर्फ जीशान पुत्र अबरार उर्फ बाले सा0 पुराना थाना कस्बा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मुस्तफा पुत्र नन्हे सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना सरायमीर
किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.06.2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ के द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि मेरी भैस वीमार हैं इसलिए पशु डाक्टर बुलाए थे डाक्टर का पैसा देने के लिए अपनी पोती को दूकान से पैसा लाने के लिए भेजा दूकान खोलने पर मुनौवर पुत्र अतीक उर्फ झगडू मेरी दूकान पर आया एक भेली खरीदा आधी भेली खा कर आधी भेली मेरी पोती के मुह में जबर जस्ती खिलाने लगा लेकिन भेली नहीं खाई फिर बोला अपना मोबाइल नम्बर दे दो तो वह नहीं दी फिर बोला मेरा मोबाइल नम्बर ले लो वह नम्बर भी नहीं ली इसके बाद दुकान के अन्दर चला आया मेरा आवेदक की पोती से छेड़खानी करने लगा आवेदक की पोती किसी तरह से दूकान के बाहर निकली तो सारी वाक्या आकर आवेदक को बतायी तब जाकर आवेदक द्वारा डायल 112 पर फोन सूचना दिया गया बाद दिये गये प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 332/2024 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट बनाम मुनौवर पुत्र शौकत अली सा0 कमालपुर, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। तथा आज दिनांक 16.06.2024 को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.06.2024 को म0उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुनौवर पुत्र शौकत अली सा0 कमालपुर, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को कमालपुर तिराहे को समय करीब 06.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 332/2024 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- मुनौवर पुत्र शौकत अली सा0 कमालपुर, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले टीम- म0उ0नि0 कबिता कुमारी मय हमराह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
किशोरी को भगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.06.2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13/06/2024 समय करीब 10 बजे रात में मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष की है जिसको ग्राम कोरौली बड़ी के ग्राम के शिवम यादव पुत्र महेन्द्र यादव के द्वारा मेरी पुत्री को गाँव के बाहर बुलाकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जब आवेदक द्वारा शिवम के घर जाकर पूछा तो उसके घर के परिजन व पिता महेन्द्र यादव द्वारा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। आवेदक के दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अं0सं0- 330/2024 धारा 363,366 भादवि बनाम शिवम यादव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। तथा आज दिनांक 16.06.2024 को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.06.2024 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी बड़ी कोरौली थाना सरायमीर आजमगढ़ को कोरौली पुलिस के पास समय करीब 06.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अं0सं0- 330/2024 धारा 363,366 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवम यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी बड़ी कोरौली थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम- उ0नि0 हरिकेश शर्मा, का0 चन्दन कुमार, का0 विभय नरायण दूबे, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 315 वाहनों का चालान

दिनांक- 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 96 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1692 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 315 वाहनों का चालान किया गया।

रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ सभागार में पुलिस कर्मियों को दिया गया 01 दिवसीय प्रशिक्षण

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ स्थित सभागार में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का 01 दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी व अन्य अभियोजन अधिकारियों के द्वारा दिया गया।

- ➔ संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी राम सजीवन वर्मा के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का 01 दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया।
- ➔ अभियोजन अधिकारी विपीनचन्द्र भास्कर के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के नये कानून का 01 दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया।
- ➔ सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभास रंजन गुप्ताके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का 01 दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों को दिया गया।
- ➔ उक्त प्रशिक्षण में अभियोजन कार्यालय, पुलिस कार्यालय, पुलिस लाईन एवं जनपद के समस्त थानो से प्रधान लेखक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किये तथा प्रशिक्षण के पश्चात परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में बकरीद त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पूर्ण की गयी तैयारियां

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ में दिनांक- 17.06.2024 को होने वाले बकरीद त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है जिनमें जनपद आजमगढ़ को सुपर जोन, जोन व सेक्टरों में बांटा गया है। सुपर जोनल का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, जोनल अधिकारी जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व सेक्टर अधिकारी के रूप में जनपद के समस्त थाना प्रभारी को नियुक्त किया गया है।

- ➔ उक्त त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद आजमगढ़ को 03 सुपर जोन, 06 जोन तथा 25 सेक्टरों में बांटा गया है।
- ➔ जनपद में उक्त त्यौहार के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान “अ” श्रेणी-122, “ब” श्रेणी- 137, “स” श्रेणी- 139 में बांटा गया है।
- ➔ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में 356 मस्जिद, 319 ईदगाह कुल 675 स्थानों पर नमाज अदा किया जाना है। जिनपर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी है।
- ➔ जनपद में कुल लगभग 3500 पुलिस बल की ड्यूटी शान्ति एवं कानून व्यवस्था में लगायी गयी है।
- ➔ जनपद में 02 कम्पनी PAC की ड्यूटी सर्किलवार/थानावार संवेदनशीलता के आधार पर लगायी गयी है।
- ➔ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत संवेदनशील थाना कोतवाली, निजामाबाद, बरदह, सरायमीर, बिलरियागंज, जीयनपुर व फूलपुर में QRT की ड्यूटी लगायी गयी है तथा मुबारकपुर के चौकी लोहरा को अतिरिक्त पुलिस बल आवंटित कर ड्यूटी लगायी गयी है।
- ➔ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु प्राइवेट ड्यूटी में LIU को लगाया गया है।
- ➔ जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जायेगी।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में बकरीद त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पूर्ण की गयी तैयारियां

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ में दिनांक- 17.06.2024 को होने वाले बकरीद त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है जिनमें जनपद आजमगढ़ को सुपर जोन, जोन व सेक्टरों में बांटा गया है। सुपर जोनल का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, जोनल अधिकारी जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व सेक्टर अधिकारी के रूप में जनपद के समस्त थाना प्रभारी को नियुक्त किया गया है।

- ➡ उक्त त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद आजमगढ़ को 03 सुपर जोन, 06 जोन तथा 25 सेक्टरों में बांटा गया है।
- ➡ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में संवेदनशील स्थान “अ” श्रेणी-122, “ब” श्रेणी- 137, “स” श्रेणी- 139 में बांटा गया है।
- ➡ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में 356 मस्जिद, 319 ईदगाह कुल 675 स्थानों पर नमाज अदा किया जाना है। जिनपर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी है।
- ➡ जनपद में कुल लगभग 3500 पुलिस बल की ड्यूटी शान्ति एवं कानून व्यवस्था में लगायी गयी है।
- ➡ जनपद में 02 कम्पनी PAC की ड्यूटी सर्किलवार/थानावार संवेदनशीलता के आधार पर लगायी गयी है।
- ➡ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत संवेदनशील थाना कोतवाली, निजामाबाद, बरदह, सरायमीर, बिलरियागंज, जीयनपुर व फूलपुर में QRT की ड्यूटी लगायी गयी है तथा मुबारकपुर के चौकी लोहरा को अतिरिक्त पुलिस बल आवंटित कर ड्यूटी लगायी गयी है।
- ➡ उक्त त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में सतर्क दृष्टि रखे जाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित करने हेतु प्राइवेट ड्यूटी में LIU को लगाया गया है।
- ➡ जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी की जायेगी।